

RTA-06-02/2023
कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

/99211/2023

(Email id- rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in)

पत्रांक:- 1637 / परि0, मुजफ्फरपुर, दिनांक 28/12/2023

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की कैलेंडर वर्ष 2024 के लिए बैठक की तिथि का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र0	माह का नाम	बैठक की तिथि	आवेदन प्राप्ति की तिथि	प्रकाशनोपरांत आपत्ति की तिथि	अभ्युक्ति
1	जनवरी-2024	31.01.2024	05.01.2024 - 09.01.2024	13.01.2024 - 15.01.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
2	फरवरी-2024	28.02.2024	04.02.2024 - 08.02.2024	12.02.2024 - 14.02.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
3	मार्च-2024	30.03.2024	05.03.2024 - 09.03.2024	13.03.2024 - 15.03.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
4	अप्रैल-2024	26.04.2024	05.04.2024 - 09.04.2024	13.04.2024 - 15.04.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
5	मई-2024	31.05.2024	04.05.2024 - 08.05.2024	13.05.2024 - 15.05.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
6	जून-2024	28.06.2024	05.06.2024 - 09.06.2024	13.06.2024 - 15.06.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
7	जुलाई-202	31.07.2024	05.07.2024 - 09.07.2024	13.07.2024 - 15.07.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
8	अगस्त-2024	30.08.2024	05.08.2024 - 09.08.2024	13.08.2024 - 15.08.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
9	सितम्बर-2024	27.09.2024	05.09.2024 - 09.09.2024	13.09.2024 - 15.09.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
10	अक्टूबर-2024	30.10.2024	03.10.2024 - 07.10.2024	12.10.2024 - 14.10.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
11	नवम्बर-2024	29.11.2024	05.11.2024 - 09.11.2024	13.11.2024 - 15.11.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य
12	दिसम्बर-2024	27.12.2024	05.12.2024 - 09.12.2024	13.12.2024 - 15.12.2024	स्थायी स्टेज कैरेज परमिट एवं अन्यान्य

नोट:- बैठक की निर्धारित तिथि में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।

(1). परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाएगा। कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर कराना या ई-मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर भेजना आवश्यक है:-

(i) वाहन स्वामी के आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(ii) चेक लिस्ट।

(iii) निबंधन-पुस्त की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(iv) टैक्स की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(v) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(vi) बीमा प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(vii) प्रदूषण प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(viii) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के पश्चात आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैठान क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके।

(ix) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र।

(x) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति।

(xi) मार्ग का वैध नक्शा/नजरी नक्शा।

(xii) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 26 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।

(xiii) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -चार प्रति में।

नोट:- विहित प्रपत्र आयुक्त कार्यालय के वेबसाइट <https://tirhutdivision.nic.in> पर उपलब्ध है।

(2). वाहन स्वामी अधिसूचित मार्ग पर ही परमिट हेतु आवेदन दे सकेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वाहन के आने-जाने का परिचालन मार्ग एक ही हो, तथा दो प्राधिकार के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

(3). प्रकाशित समय-सारणी के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजातों एवं निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित तिथि को अपनी आपत्ति विहित प्रपत्र में ई-मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर भेज सकते हैं या कार्यालय में काउण्टर संख्या 01 पर जमा कर सकते हैं। अधूरे कागजातों एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। बैठक की निर्धारित तिथि को आवेदक एवं आपत्तिकर्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ वांछित होगी।

(4). बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक या आपत्तिकर्ता अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।

(5). विभाग एवं सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशादि प्रभावी होंगे।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के आदेशानुसार,

Digitally signed by Barun Kumar Mishra

Date: 2023.12.26 17:09:55 +05'30'

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

RTA-06-02/2022

ज्ञापांक:- 1637 / परि०

मुज० / दिनांक:- 25/12/2023

/99211/2023

प्रतिलिपि:-

राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपि:-

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर एवं नगर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि उक्त अवसर पर एक सेक्सन पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि:-

अपर समाहर्ता, राजस्व मुजफ्फरपुर (सदस्य-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर) को सूचनार्थ एवं निर्धारित तिथि को ससमय बैठक में भाग लेने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इसे सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।

प्रतिलिपि:-

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/वैशाली/शिवहर/ मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

अनुमंडल दण्डाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर को उक्त अवसर पर एक दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

प्रमंडलीय प्रबंधक, बी०एस०आर०टी०सी० मुजफ्फरपुर एवं प्रमंडल, के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के प्रतिनिधियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के गोपनीय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

नाजीर, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को आवश्यक व्यवस्था करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

सभी वाहन स्वामियों को सूचनार्थ।

Digitally signed by Barun Kumar
Mishra

Date: 2023.12.26 17:10:10 +05'30'

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।